भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *267

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

प्रदूषित नदी-खंड

***267. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:**

श्रीमती भारती पारधी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए चिन्हित "प्रदूषित नदी-खंडों" की अद्यतन सूची क्या है;

(ख) पूर्व में चिन्हित ऐसे प्रदूषित खंडों की विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्यवार संख्या कितनी है जिनमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उक्त सूची में जोड़े गए नए खंडों की संख्या कितनी है;

(ग) वास्तविक समय में निगरानी केंद्रों और हाथ से नमूना लिए जाने सहित मौजूदा जल गुणवत्ता निगरानी तंत्र कितने प्रभावी साबित हुए हैं।

(घ) क्या विशेषकर संवेदनशील औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त निगरानी केंद्र विद्यमान हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ करने और आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्रदूषित नदी-खंड' के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *267 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2009 से पिछले वर्षों में नदी जल की गुणवत्ता की आवधिक मॉनिटरिंग के आधार पर देश में प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) की पहचान करने का कार्य शुरू किया है। अब तक, सीपीसीबी ने वर्ष 2009, 2015, 2018 और 2022 में ऐसी 4 आवधिक रिपोर्ट प्रकाशित की हैं।

नवंबर 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा प्रकाशित "पीआरएस" रिपोर्ट पर उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) जो जैविक प्रदूषण का एक संकेतक है, के संदर्भ में निगरानी परिणामों के आधार पर 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की गई है।

वर्ष 2018 में चिह्नित पीआरएस की संख्या 351 से घटकर वर्ष 2022 में 311 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 106 पीआरएस को सूची से हटा दिया गया है और वर्ष 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2022 में 74 प्रदूषित नदी खंडों की जल गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण देश में नदी प्रदूषण की राज्य-वार स्थिति https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5NF8xNjcxNzc3O Dg2X211 ZGlhcGhvdG8xODc0Ni5wZGY= पर उपलब्ध है।

(ग): राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत मैन्युअल सैंपलिंग और गंगा बेसिन में रीयल-टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (आरटीडब्ल्यूक्यूएमएस) सहित मौजूदा जल गुणवत्ता निगरानी तंत्रों ने देश भर में नदी जल प्रदूषण पर नज़र रखने और उसके प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीपीसीबी के अनुसार, एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत मैन्युअल जल गुणवत्ता निगरानी से जल गुणवत्ता डाटा प्राप्त होता है और इसका उपयोग पीआरएस की पहचान के लिए किया जाता है। इसके अलावा, ये स्टेशन, प्रदूषित नदी खंडों का आकलन करने और इन खंडों के लिए कार्य योजना तैयार करने में हमारी सहायता करते हैं।

(घ) और (ङ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से, जल संसाधनों की जल गुणवत्ता की स्थिति का नियमित रूप से आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क (एनडब्ल्यूएमपी) की स्थापना की है ताकि जल निकायों में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के कार्य को सुगम बनाया जा सके। इस समय, सीपीसीबी देश भर में 645 नदियों के 2155 स्थलों सहित 4736 स्थलों पर जल संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी

करता है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) 51 नदियों के 160 स्थलों सहित 254 स्थलों के जल संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) 57 नदियों के 156 स्थलों सहित 252 स्थलों के जल संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है।

(च): डाटा की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा जारी जल गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देश, 2017 के अनुसार सतही जल और भूजल मापदंडों के लिए जल सैंपलों का विश्लेषण किया जाता है।
• सही आकलन सुनिश्चित करने के लिए जल के सैंपलों का परीक्षण राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है।
• एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत निगरानी स्थलों की लेखा-परीक्षण सीपीसीबी द्वारा अपने क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से प्रतिवर्ष की जाती है।
• राज्य बोर्ड की प्रयोगशालाएँ दक्षता परीक्षण के लिए सीपीसीबी द्वारा किए जाने वाले विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण (एक्यूसी) में सहभागी हैं।
• जल गुणवत्ता संबंधी डाटा सीपीसीबी की वेबसाइट https://cpcb.nic.in/nwmp-data/ पर पोस्ट किया जाता है।

*****